न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 199/2023

अनवान : –

1. चन्द्रा देवी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री चन्द्र शेखर अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः 26.09.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 180/27 की कुल 3.2450 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादीया का नाम चन्दो पुत्री हेमराज व पता बीरान तहसील भादरा दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हो गया है जबकि वादीया का सही व वास्तविक नाम मुताबिक दस्तावेजात चन्द्रा देवी पत्नी महेन्द्रसिंह व व पता – निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा है अतः वादीया राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेज चन्दो पुत्री हेमराज व पता – निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाया दावा है।

राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम गलत दर्ज होने से वादीया राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से मिलने वाली सुविधा से वंचित है तथा वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः वाद वादीया डिक्री फरमावें।

वादी ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि वे वाद भूमि में वादी का नाम दुरूस्त कर देवें जिस पर प्रतिवादी कुछ दिन तो आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा अपने पत्रांक 8887 दिनांक 06.07.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजस्व रिकार्ड में चन्दो पुत्री हेमराज व [illegible] तहसील भादरा दर्ज है। मौतबिरान की पूछताछ व अन्य दस्तावेजों के अनुसा[illegible] पत्नी महेन्द्रसिंह व व पता – निवासी गदली तहसील भटटू जिला [illegible] जाना उचित है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि वादीया का सही नाम चन्द्रा देवी पत्नी महेन्द्रसिंह व व पता – निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

हरियाणा है जबकि राजस्व रिकार्ड में चन्दो पुत्री हेमराज व पता बीरान तहसील भादरा दर्ज गलत दर्ज हो गया जिससे वादीया को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादीया के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैनकार्ड आदि व रिपोर्ट सरपंच ग्राम गदली आदि में चन्द्रा देवी पत्नी महेन्द्रसिंह व व पता – निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा दर्ज है। अतः मुताबिक वादीया के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादीया का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 180/27 की कुल 3.2450 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है , में वादीया का नाम चन्दो पुत्री हेमराज व पता बीरान तहसील भादरा दर्ज है के स्थान पर चन्द्रा देवी पत्नी महेन्द्रसिंह व व पता – निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात में वादीया का नाम चन्द्रा देवी पत्नी महेन्द्रसिंह व व पता – निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादीया का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीया स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 180/27 की कुल 3.2450 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादीया का नाम चन्दो पुत्री हेमराज व पता बीरान तहसील भादरा के स्थान पर चन्द्रा देवी पत्नी महेन्द्रसिंह व व पता – निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नत्थुराम पुत्र जीतराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का नत्थुराम पुत्र जीतराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/9/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:05 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्ची - डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 199/2023

अनवान : –

1. चन्द्रा देवी पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 199 सन 2023 निर्णय दिनांक 26.09.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 2 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 180/27 की कुल 3.2450 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादीया का नाम चन्दो पुत्री हेमराज व पता बीरान तहसील भादरा के स्थान पर चन्द्रा देवी पत्नी महेन्द्रसिंह व व पता – निवासी गदली तहसील भटटू जिला फतेहाबाद हरियाणा के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नत्थुराम पुत्र जीतराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का नत्थुराम पुत्र जीतराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम नत्थुराम पुत्र जीतराम नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/9/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:51:05 IST
Reason: SelfAttested